



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244030
CG-DL-E-02032023-244030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944

No. 913]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

का.आ. 950(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2530(अ), दिनांकित 17 सितंबर, 2015 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 214ए (नया रास-216) के किमी 84.550 से किमी 124.200 (मछलीपट्टनम से अवनीगुडा) तक के खंड को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में डिजाइन किमी 82.300 से किमी 117.060 (मौजूदा किमी 84.550 से किमी 124.200 तक) राष्ट्रीय राजमार्ग 214ए (नया रास-216) के मछलीपट्टनम से अवनीगुडा तक के खंड के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर किमी 20.940 किमी निवल सड़क खंड लंबाई के और 2.110 किमी (0.211 किमी की कुल लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और दस करोड़ रु. या इससे अधिक लागत वाले 13.609 किमी लंबाई के बाइपास के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के नब्बे प्रतिशत दर पर यांत्रिक वाहनों पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे फीस प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
फीस प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मोपिदेवी गांव के पास रारा-216 (पुराना रारा-214ए) के किमी 116+332 पर	20.940 किमी [बाइपास की लंबाई (>10 करोड़ रु. लागत वाले) और संरचना की लंबाई (>60मी) को छोड़कर]	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे फीस प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3						
फीस प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर, जिस पर फीस संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मोपिदेवी गांव के पास रारा-216 (पुराना रारा-214ए) के किमी 116+332 पर	रारा-216 का मच्छलीपट्टनम बाइपास	डिजाइन किमी 82.300 (मौजूदा किमी 84.550)	डिजाइन किमी 90.300 (मौजूदा किमी 95.510)	7.869	35.35 करोड़ रु.	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए 90%
	रारा-216 के चल्लापल्ली बाइपास	डिजाइन किमी 104.700 (मौजूदा किमी 110.545)	डिजाइन किमी 110.440 (मौजूदा किमी 117.500)	5.74	27.42 करोड़ रु.	
	बाइपास की कुल लंबाई			13.609	62.77 करोड़ रु.	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई. (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मोपिदेवी गांव के पास रारा-216 (पुराना रारा-214ए) के किमी 116+332 पर	0.211*	2.11 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का पेन्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए 60%

* ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	किमी 82.437	किमी 82.503	एमजेबी	66मीटर
3	किमी 90.143	किमी 90.208	एमजेबी	65मीटर
4	किमी 104.220	किमी 104.300	एमजेबी	80मीटर
कुल				211मीटर

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और फीस प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2022-23 के लिए 315.00 रु. (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 465.71 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. एमओआरटीएच/पीआईयू/एमपीटी/एनएच-216/16-17/10/टोल नोटिफिकेशन]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

S.O. 950(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2530(E) dated 17th September 2015, issued under section 05 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometer 84.550 to Kilometer 124.200 (Machilipatnam to Avanigadda) of National Highway No.214A (New NH-216) in the state of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “said rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 20.940 Km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.110Kms(having total length of 0.211 Kms) and at ninety percent of the base rate for bypasses having length of 13.609 Kms costing rupees ten crores or more on the type of vehicles specified in column(1) of Table 1 below for the use of two lane with paved shoulders of the Machilipatnam to Avanigadda section of National Highway number NH-214A [New NH-216]] from design Km82.300to Km.117.060 (Existing km.84.550 to km.124.200) in the state of Andhra Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a Contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is Payable	Rate at which fee is payable
At Km.116+332 of NH- 216 (Old NH-214A) near Mopidevillage in Krishna District of Andhra Pradesh	20.940Km (Excluding length of bypass (costing > 10 crore) and length of structures (>60m))	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table -1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 Crore or more at the following fee plaza for net bypass(es) length specified for such Toll Plaza(s): -

TABLE-3						
Location of fee plaza (chainage)	Name of the bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km.116+332 of NH- 216 (Old NH-214A) near Mopidevi village in Krishna District of State Andhra Pradesh	Machilipatnam Bypass of NH-216	Design km.82.300 (existing km.84.550)	Design km.90.300 (existing km.95.510)	7.869	Rs.35.35Cr	90% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table -1 above
	Challapalli Bypass of NH-216	Design km.104.700 (existing km.110.545)	Design km.110.440 (existing km.117.500)	5.74	Rs.27.42Cr	
	Total length of bypass			13.609	Rs.62.77Cr	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza (s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10 :-

TABLE-4			
Location of Toll plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km.116+332 of NH- 216 (Old NH-214A) near Mopidevi village in Krishna District of State Andhra Pradesh	0.211*	2.11	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table -1 above

* The details are as under:-

Sl.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	Km82.437	Km82.503	MJB	66m
3	Km90.143	Km90.208	MJB	65m
4	Km104.220	Km104.300	MJB	80m
Total				211m

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.315.00 (Three Hundred and Fifteen rupees only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

TABLE-5		
Amount payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment.

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicle plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definition including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 465.71Crore.[The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, Tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized recovery of capital and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. MORTH/PIU/MPT/NH-216/16-17/10/TollNotification]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.